

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सपोररा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प बहाकरपुर

:- आदेश :-

सुक्ति-33
2017 21/2017

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बहाकरपुर व भूअ.नि. सपोररा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सपोररा /नायब तहसीलदार बहाकरपुर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बहाकरपुर तहसील सपोररा व जिला सपोररा की जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में खाता संख्या 58 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं०	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
01	बहाकरपुर	58	हमनन्द फुल सुवम कि 1/2 मूलीपदिन हम.रामजीलाल सिमा, अनु. बज्जा, ऐडी कि रामजीलाल जाति चमार	हमनन्द फुल सुवम 1 हे/2 मूलीपदिन स्व. रामजीलाल सिमा, अनु. बज्जा, ऐडी कि रामजीलाल जाति चमार

(Signature)
पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत के अध्यक्ष द्वारा
सपोररा खण्ड-अधिकारी (राजस्व एवं)
पदेन सहा.कलक्टर,
दिनांक:- 18/5/17

क्रमांक:- सपोररा/2017/35-37
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सपोररा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री हमनन्द फुल सुवम जाति चमार को सूचनार्थ
3. रक्षित पत्रावली। बहाकरपुर

दिनांक:-
(Signature)
18/5/17

(Signature)
पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत के अध्यक्ष द्वारा
उपखण्ड-अधिकारी (राजस्व एवं)
सपोररा, जिला सपोररा
पदेन सहा.कलक्टर,

राजस्व लोक अदालत अभियान-2017

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

रामजी जी,

निवेदन है की राज - बहादुरपुर की पटवारी स्थान सं. 2072-75 के
 के स्वामी धरमलाल पुत्र शुभान दि. 1/2 खेला दे. रामजीलाल सितापान
 दि. रामजीलाल की पत्नी असम्मानजनक प्रकार से ही जित्त (सम्मान
 दर्ज निर्गमन के आदेश, पुरान करे।

बिनालपटवारी
 पटवारी
 18/5/17

नी)	भूमि धारक का नाम	
राना		
2	3	
राज.	सम्मान	
सरकार	सम्मान	

केवल सरकारी कार्य हेतु लि
 किया जाता है कि इस प्रसि
 क्रमांक:- 3203849-
 जारी करने का दिनांक-

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का बघापुर व 942
 के, स्वामी धरमलाल पुत्र शुभान वगैरे जमावदी संवत्
 के खासा सं. 58 में अंकित जारी प्रकार के स्थान पर
 दर्ज करने की सिफारिश की जाती है।

तहसीलदार
 तहसील सपोटरा (करौली)

आदेश

रिपोर्ट पटवारी, 942 एवं तहसीलदार के अध्यापक
 जाठ पत्र वीकरण किया जाता है। इसी प्रकृत ले जाती है।

महाराष्ट्र
 (सिटी) महाराष्ट्र

पीएम (SDM)
 राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार
 सपोटरा, जिला-करौली (राज०)